निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड, उद्यान भवन,चौबटिया,रानीखेत (अल्मोड़ा)

E-162994 पत्रांक 3846 /दो–34(3)/2024–25,
दिनांकःचौबटियाः 31 मार्च/2025

–ःकार्यालय ज्ञापः–

शासन द्वारा शासनादेश सं0–282747/XXX(2)/2025–ई 20917 दिनांक 17 मार्च, 2025 से लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा–23 में निहित प्राविधानों के अनुरूप वर्ष 2025–26, में स्थानान्तरण किये जाने के निर्देशों के कम में प्रथम चरण हेतु विभागाध्यक्ष (निर्देशालय स्तर से) पर स्थानानतरण सत्र 2025–26 में अनुरोध/अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु जनपदीय अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारियों से अनुमोदनोपरान्त प्राप्त कार्यस्थलों के सुगम–दुर्गम के चिन्हांकन के आधार पर, विभागाध्यक्ष स्तर पर अधीनस्थ सेवा वर्ग–1, वर्ग–2 एवं अधीनस्थ सेवा वर्ग–3 के कार्मिकों हेतु वर्ष 2025–26 हेतु चिन्हांकन किया गया है, साथ ही उद्यान विभाग के अन्तर्गत समूह–क एवं ख के अधिकारियों हेतु शासन द्वारा, शासनादेश संख्या–693/XVI(1)/18/2(1)/2018 दिनांक 13.04.20218 से किये गये चिन्हांकन में शासन द्वारा कोई परिवर्तन न किये जाने के कारण वर्तमान स्थानान्तरण सत्र वर्ष 2025–26 हेतु यथावत है।

1– उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत करना है कि अधिकारियों के कार्यस्थल/प्रक्षेत्र मिनिस्ट्रीयल संवर्गीय कार्मिक एवं वाहन चालक संवर्गीय कार्मिक एवं वैयक्तिक संवर्ग के कार्मिकों के समरूपी है। अतएवं शासन के शासनादेश दिनांक 13.04.2018 के द्वारा चिन्हांकन एवं प्रकटीकरण को ही मिनिस्ट्रीयल संवर्गीय कार्मिक एवं वाहन चालक संवर्गीय कार्मिक एवं वैयक्तिक संवर्ग के कार्मिकों हेतु स्थानान्तरण सत्र वर्ष 2025–26 हेतु मान्य करते हुए प्रभावी किया जाता है।

2– इसी कम में वर्ष 2025–2026 में किये गये चिन्हांकन की प्रति समस्त कार्यालयाध्यक्षों को प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि अपने अधिनस्थ कार्मिकों को इस हेतु अनिवार्य रूप से सूचित करें, यद्यपि उक्त चिन्हांकन की सूची पृथक से वैबसाईट shm.uk.gov.in पर अपलोड की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत करना है कि विभिन्न संवर्गो में रिक्त/सम्भावित रिक्ति की सूचना इत्यादि पृथक से वैबसाईट पर अपलोड की जायेगी। कृपया उक्त का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

3– इसके अतिरिक्त यह अवगत करना है कि समूह–घ के कार्मिकों के संबंध में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/मण्डलीय अधिकारी लोक सेवकों के स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के प्राविधानों को स्थानान्तरण सत्र 2025–26 हेतु लागू किये जाने के संबधं में यथानियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। कृपया प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

Signed by
Deepti Singh
Date: 31-03-2025 09:42:39

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,
उत्तराखण्ड।

E-162994/3846
पत्रांक /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त कार्यालयाध्यक्ष को आवश्यक अनुपालनार्थ प्रेषित।
2– संयुक्त निदेशक, कुमायू मण्डल, नैनीताल/ गढवाल मण्डल, पौडी।
3– अपर निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, राजकीय उद्यान सर्किट हाउस, देहरादून
4– सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखंड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,
उत्तराखण्ड।

T.Act 2022-23